न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 23/2023

ओकार पुत्र हनुमान जाति कुमावत निवासी सूण्डा की ढाणी, तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण

प्रार्थी

वनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल
2. गोरधन पुत्र हनुमान
3. नेमीचन्द पुत्र मांगीलाल
4. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल
5. मूलचन्द पुत्र मांगीलाल
6. मोतीलाल पुत्र मांगू
7. मोहन पुत्र नारायण
8. रूगनाथ पुत्र बालू
9. रामेश्वर पुत्र बालू
10. हनुमानप्रसाद पुत्र मांगीलाल
11. मोतीलाल पुत्र मांगीलाल
    समस्त जाति कुमावत नि0 सूण्डा की ढाणी, तहसील जोबनेर जिला जयपुर
12. आई0डी0बी0आई0 बैंक लि0 शाखा वैशालीनगर जयपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
13. तहसीलदार, तहसील जोबनेर
14. उपपंजियक, जोबनेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामसिंह वकील प्रार्थी

2. श्री हनुमान जाखड वकील अप्रार्थी संख्या 7

दिनांक :– 11/07/2024

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 304/2/2.8451, 308/1/0.1517, 309/0.9231 वाकै ग्राम सूण्डा की ढाणी तहसील जोवनेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। विवादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। सभी पक्षकारान आपसी सहमति से आराजी को जोत रहे है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है तथा वादी को उसके हिस्से से बेदखल भी करना चाहते है। यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त गैरकानूनी मनसूबों में कामयाव हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से होना संभव नहीं है लिहाजा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ है। अतः अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की कब्जे काश्त की आराजी में मजाहमत/व्यवधान उत्पन्न ना करने हेतु पावंद फरमाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने हेतु पावंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 तथा अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 14 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 7 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 7 द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। उक्त आराजीयात का बटवारा लगभग 40 वर्ष पूर्व हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 7 मोहन लाल का जोबनेर से रेनवाल जोन वाली सडक पर कब्जा काश्त है। वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 ने अपने हिस्से की जमीन को उन्नत एवं विकसित कर रखा है। प्रतिवादी संख्या 7 ने काफी रूपये खर्च करके रोड पर स्थित जमीन के चारों तरफ तारवंदी कर रखी है। प्रतिवादी संख्या 7 अपनी जमीन का बेचान नहीं करना चाहता है। वादी का विवादीत आराजी के तीनों खातों पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादी प्रतिवादी संख्या 7 की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहता है। वर्ष 2013 में उक्त जमीन पर टोल–नाके का निर्माण किये जाने की कार्यवाही की जा रही थी जिसका प्रतिवादी मोहनलाल के द्वारा विरोध किया गया था अपने अधिवक्ता से विधिक नोटिस दिलवाया गया था। उक्त संबंध में वादी व अन्य खातेदारों द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया क्योंकि सडक पर कब्जा काश्त प्रतिवादी मोहनलाल का ही था। अतः जवाब पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश होने से खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 सुनी गयी। बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–77 विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। परन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। विभाजन के अभाव में उभय पक्ष के द्वारा आराजी के विशिष्ट हिस्से पर अपना–अपना हक जताया जा रहा है। विभाजन से पूर्व आराजी के प्रत्येक इंच पर सभी पक्षकारान का हक है। उभय पक्ष के हित का निर्धारण भविष्य में मूल दावा में तनकी एवं साक्ष्य के आधार पर होगा। अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आराजी का मौके पर बाहमी बंटवारा हो रखा है। परन्तु इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा बंटवारे का कोई प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया है। चुकि उभय पक्ष भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अगर उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो उभय पक्ष द्वारा मौके एवं राजस्व पर परिवर्तन कर दिया जावेगा। जिससे वाद बहुलता बढेगी। इसलिए उभय पक्ष के हितों की रक्षा एवं वाद बहुलता कम करने हेतु उभय

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाना उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण उभय पक्ष में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। परन्तु रिकॉर्ड पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य कोई भी विभाजन नहीं हुआ है। अगर उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो असुविधा भी उभय पक्ष को होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी उभय पक्ष में निहीत है।

3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन उभय पक्ष में निहित है। अतः मौके एवं राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर दिया जावेगा तो अपूरणीय क्षति भी उभय पक्ष को ही होगी। जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति उभय पक्ष के पक्ष में है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को ताफैसला मुकदमा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाएं रखने हेतु पावंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11/07/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)